



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218649
CG-DL-E-13032020-218649

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 938]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1044(अ).—केंद्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (V), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा बाड़, सीमा चौकी, सीमा सड़क और एकीकृत जांच चौकियों हेतु संकटपूर्ण सीमा परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन हेतु उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन, “समुचित सरकार” की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए गृह मंत्रालय को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 13014/01/2020-एल.आर.डी.]

हुकुम सिंह मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1044(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Home Affairs shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the “appropriate Government” under the said Act and the rules made thereunder, for acquisition of land for the critical border projects for Border Fence, Border Out Posts, Border Roads and Integrated Check Posts.

[F. No. 13014/01/2020-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.